न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/15/2021 **जीसीएमएस नं0 2021/19**

प्रवेश तिथि 05.02.2021

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

श्री वीरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह,
निवासी ग्राम–पोस्ट खातनखेड़ा,
तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0–301701

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10.03.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 06.01.2021 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के पत्रांक सतर्कता/216–17 दिनांक 11.02.2019 का दलित नई हरिजन बस्ती ग्राम खातनखेड़ा के घरो से निकलने वाली नालियों का गंदा पानी रोकने पर कार्यवाही कर गंदे पानी की निकासी कराने के संबंध में आवेदन–पत्र के क्रम में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.01.2021 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/91–92 दिनांकः 10.02.2021 के माध्यम तलब कर दिनांकः 17.02.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा स्मरण–नोटिस पत्रांक कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/2021/138–139 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से ज़वाब तलब किया गया। नोटिस के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ।—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

(2)

किन्तु प्रस्तुत अपील दिनांक 05.02.2021 के संलग्नक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के पत्रांक लोक सूचना/2021/653–54 दिनांक 25.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पत्रांक के माध्यम से बिन्दूवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। प्रकरण में शिकायत प्रा0पत्र दिनांक 11.02.2019 के क्रम में विकास अधिकारी, पंचायत समिति बहरोड़ को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बहरोड़ कार्यालय मे संपर्क, स्थापित करें। उक्त के अतिरिक्त प्रथम आवेदन में प्रश्नगत गन्दा पानी निकासी को लेकर अपीलार्थी की परिवेदना भी परिलक्षित होती है। जिसका समाधान इस स्तर पर किया जाना संभव नहीं है, अपीलार्थी उपयुक्त मंच के समक्ष परिवाद दायर करें।

7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। किन्तु प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब समय पर प्रस्तुत करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)